(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 56/2017-सीमाशुल्क (गै.टै.)

नई दिल्ली, दिनांक 23 जून, 2017

सा.का.नि. (अ), सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के उपवाक्य (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, एतदद्वारा, भारत सरकर, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 61/94-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 21 नवम्बर, 1994, जिसे का.आ. 828 (अ), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, केरल राज्य से संबंधित क्रम सं. 9 के समक्ष, कॉलम 3 और 4 में मद (ग) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा :-

(3)	(4)
"(घ) कन्नूर	आयातित माल की उतराई और निर्यात माल या इसी श्रेणी के माल की लदाई"

[फा.सं. 520/34/2015-सीमा शुल्क VI]

(बि. कोन्थौजम)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना सं. 61/94-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 को का.आ. 828 (अ), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 83/2016-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 9 जून, 2016, जिसे सा.का.नि. 589 (अ), दिनांक 9 जून, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।